रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241267 CG-DL-E-21122022-241267

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5725]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944

No. 5725]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5963(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 160 के कि.मी. 98.250 से कि.मी.116.00 तक के भूखण्ड (शिर्डी - सिन्नर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपप्रभागीय अधिकारी, शिर्डी, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और

8531 GI/2022 (1)

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 160 के 98.250 कि.मी. से 116.00 कि.मी. तक (शिर्डी - सिन्नर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: अहमदनगर									
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल	7,				
				(स्थानीय इकाई)	(हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: कोपरगाव									
गांव का नाम: चांदेकसारे									
1	151/3	निजी	जिरायत	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000				
2	172 P	निजी	जिरायत	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000				
3	311 P	निजी	हंगामी बागायत+अकृषीक	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000				
4	312 P	निजी	हंगामी बागायत	0.300000(हेक्टेयर)	0.3000000				
तालुक का नाम: राहता									
गांव का नाम: सावळीविहीर बुद्रुक									
1	197 P	सरकारी	जिरायत	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000				
गांव का नाम: सावळीविहीर खुर्द									
1	144 p	सरकारी	बागायत	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000				
			0.7900	0.7900					

[फा. सं. NHAI/BOT-I/11019/1/2010/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

**S.O.** 5963(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH160 in the stretch of land from Km 98.250 to Km116.000 (Shirdi-Sinnar section) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under subsection(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Shirdi in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, eitherallow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### **SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH160 in the stretch of land from Km. 98.250 to Km. 116.000 (Shirdi-Sinnar Section) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA.

Stat	State: MAHARASHTRA District: AHMEDNAGAR								
	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)				
Taluk: Kopargaon									
Village: Chandekasare									
1	151/3	Private	Jirayat	0.0350000 (Hectare)	0.0350000				
2	172 P	Private	Jirayat	0.0800000 (Hectare)	0.0800000				
3	311 P	Private	Hangami Bagayat+ Non Agriculture	0.1800000 (Hectare)	0.1800000				
4	312 P	Private	Hangami Bagayat	0.3000000 (Hectare)	0.3000000				
Taluk: Rahata									
Village: Sawlivihir Budruk									
1	197 P	Government	Jirayat	0.0250000(Hectare)	0.0250000				
Villa	Village: Sawlivihir Khurd								
1	144 p	Government	Bagayat	0.1700000(Hectare)	0.1700000				
		0.7900	0.7900						

[F. No. NHAI/BOT-I/11019/1/2010/3A]

RAJESH GUPTA, Director